103 गांवों में बनेंगी 'पानी पंचायत'

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। जिले के 103 गांवों में पानी पंचायत का गठन होगा। इसके माध्यम से क्षेत्र में मौजूद पानी का कैसे उपयोग करें, कौन सी फसल लें जिसमें कम पानी लगता हो, यह सब आपसी सहमति से तय होगा। जिस पानी का उपभोग हम कर रहें हैं, उसका शुल्क नियमित जमा हो, ताकि रखरखाव कार्य में अड़चन न आए। यह विचार मुख्य विकास अधिकारी निखिल टी. फुंडे ने कार्यशाला में व्यक्त किए।

उपयोग करें और पैसा भी जमा करें: सीडीओ

विकास भवन में हुई समुदाय आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यशाला में उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण पानी का उपभोग करते हों, उन्हें जागरूक करें, ताकि वे पानी का शुल्क जमा करें। पाइप पेयजल योजना के निर्माण का पैसा सरकार देती है, लेकिन उसका संचालन और अनुरक्षण हमें ही करना है। संकल्प लें कि पानी का उपभोग करने वालों से बिल जमा कराएंगे।

पर्यावरण एवं जल गुणवत्ता सलाहकार रितेश पांडेय ने कहा कि समय- समय पर अपने पानी की जांच कराएं, ताकि पानी में यदि कोई हानिकारक कीटाणु हों तो उसकी जानकारी मिल सके। यदि पानी की जांच करानी है तो टोल फ्री नंबर 18001025030 पर जानकारी की जा सकती है।

जिला विकास अधिकारी उग्रसेन सिंह यादव ने कहा कि यदि कोई पाइप पेयजल योजना को नुकसान पहुंचाता है या जलापूर्ति बाधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर परियोजना निदेशक डॉ. आरके गौतम, उपायुक्त डॉ. एनएन मिश्रा, जल संस्थान, जल निगम, विद्युत विभाग के अधिकारी और ग्रा. प्रधान मौजूद रहे।